



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम -मिनीरल कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर - 335804 (राज.)
फोन नं. 01509-220084, 220309

GST No. 08AABCN8973F2Z3

**NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED**

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Website: www.indiaseeds.com

**CENTRAL STATE FARM - SURATGARH
District- Sriganganagar - 335804 (Raj.)**

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsgmkg@gmail.com

क्रमांक: सीएसएफ / एसओजी / 10-2 / विपणन / 2020-21- 71

दिनांक: 03.06.2020

अल्पकालीक खुली निविदा

पंजीकृत कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निम्न कृषि रसायन की आवश्यकता है। यदि आप भी उपरोक्त कृषि रसायन सप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 11.6.2020 को सुबह 11.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित करें। जो उसी दिन दोपहर 12.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि रुपये 10000.00 बैंक ड्रॉफ्ट अथवा RTGS के माध्यम से जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़ खाता नम्बर 34056542572 (IFSC Code No: SBIN0007774) पर देय हो, सलंगित करना अनिवार्य है। निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है।

S.No.	Particulars	Unit	Total Qty.
1	Chloropyriphos 20 % EC	Liter	300.00
2.	Melathian 50 % EC	Liter	100.00

(F.O.R. OUR GODOWN)

निविदा की नियम व शर्तें :-

- 1 कृषि रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्रान्डेड मार्का होना चाहिए।
- 2 निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना आवश्यक है।
- 3 सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी।
- 4 कृषि रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 3-4 दिन में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के गोदाम पर करनी होगी। आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 10 दिन के उपरांत आपूर्ति की जाती है तो रसायनों की कुल मूल्य का 5 % Late Delivery Charge के रूप में पार्टी को किये जाने वाले बिलों के भुगतान में से बसूली की जायेगी।
- 5 आपूर्ति किये जाने वाले कृषि रसायनों की जांच मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी जिसका नमूना केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़ पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा एवं जांच का खर्च सप्लायर द्वारा वहन किया जायेगा। जांच में कृषि रसायनों के संतोषजनक पाये जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। यदि कृषि रसायन जांच में अमानक पाया गया तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वापिस उठाना होगा।
- 6 अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदादाता को GST नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- 8 निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
- 9 रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- 10 रसायन की वैधता कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।

प्रभारी(एमएम)
कृते निदेशक